



राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: F (15) NHM/RCH/JSY/OJAS/ 11

दिनांक: 16/05/2016

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
समस्त जिले।


**विषय:-** वर्ष 2016-17 में पीसीटीएस सॉफ्टवेयर में क्रमोन्नत सीएचसी पर ओजस सॉफ्टवेयर द्वारा भुगतान के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्ष 2016-17 में पीसीटीएस सॉफ्टवेयर पर मास्टर डेटा अपडेशन में पीएचसी से सीएचसी में क्रमोन्नत हुई संस्थान को ओजस सॉफ्टवेयर के द्वारा जेएसवाई एवं एसएलवाई का ऑनलाईन भुगतान किया जाना है।

इस क्रम में जिलो पर कार्यरत डी.एन.ओ. समस्त संबंधित (क्रमोन्नत) संस्थाओं के अधिकारी/कर्मचारी को पीसीटीएस सॉफ्टवेयर एवं ओजस सॉफ्टवेयर की Hands on training देना सुनिश्चित करेगे, जिसमें पीसीटीएस सॉफ्टवेयर पर जेएसवाई व्लेम फॉर्म की ऑनलाईन प्रविष्टि व संबंधित संस्थान से अधिकारी प्रभारी/नामित अधिकारी को ओजस सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन भुगतान प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षण देंगे, साथ ही भुगतान प्रक्रिया में क्या-क्या सावधानियों बरतनी है की पूर्ण जानकारी दी जावे।


समस्त डी.एन.ओ. इस बात का ध्यान रखे कि प्रत्येक संस्थान से दो नामित अधिकारियों को ओजस सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन भुगतान प्रक्रिया हेतु प्रशिक्षित किया जावे। संबंधित संस्थान स्तर पर नामित अधिकारी/कर्मचारी को प्रशिक्षण उपरान्त ही, संस्थान स्तर से अनुशंभा आधार पर ही संबंधित अधिकारी प्रभारी/नामित अधिकारी को ओजस सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन भुगतान प्रक्रिया हेतु अधिकृत किया जावेगा। समस्त डी.एन.ओ., संबंधित (क्रमोन्नत) संस्थान स्तर से अनुशंभा आधार पर, ओजस सॉफ्टवेयर द्वारा ऑनलाईन भुगतान प्रक्रिया हेतु संबंधित नामित अधिकारी के ओजस सॉफ्टवेयर पर लॉग-इन हेतु युजर आईडी व पासवर्ड के लिये लिखित में स्टेट डेमोग्राफर को अवगत करायेगे।

पीएचसी से सीएचसी में क्रमोन्नत हुई संस्थान से ऑनलाईन भुगतान प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने के उपरांत, उक्त संस्थानों के द्वारा पूर्ववत प्रक्रिया अनुसार चैक द्वारा भुगतान नहीं किया जावेगा। समस्त डी.एन.ओ., पीएचसी से सीएचसी में क्रमोन्नत हुई संस्थानों को ओजस सॉफ्टवेयर से संबंधित ऑनलाईन भुगतान प्रक्रिया हेतु पूर्व में जारी समस्त दिशानिर्देश उपलब्ध करावे।

  
निदेशक, आरसीएच  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं  
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सहायक, विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
2. निजी सहायक, निदेशक--आरसीएच।
3. परियोजना निदेशक मातृ स्वास्थ्य।
4. सलाहकार जेएसवाई।
5. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, समस्त जिले।
6. जिला नोडल अधिकारी, समस्त जिले।
7. प्रभासी सर्वर रूम।
8. रक्षित पत्रायली।

  
निदेशक, आरसीएच  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर